

तारीख

पीठासीन अधिकारी के लघु हस्ताक्षर सहित आदेश  
मूली देवी vs हरिताराम 23/16

24/8/20

पत्रावली पर डी प्रार्थना पर वे संबंधित  
मूल बाद सं. 23/2016 अदम एजरी  
एवं अदम पैरवी में जारी किया  
जा चुका है जिससे अन्ततः प्राप्ति  
पोषणीय नहीं है तथा चालने का  
कोई कोचिस नहीं है। अतः प्राप्ति  
पोषणीय नहीं होने से जारी किया  
जाता है जिससे अपने नष्ट के  
उम होकर मूल बाद के जोध नहीं  
होकर दाखिल रहता है।

*[Signature]*  
सहायक न्यायाधीश  
जुआर...